कार्यवाही विवरण

(1.) मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा), खसरा कमांक–471, 472 एवं 473/2 (पार्ट), लीज एरिया–1.295 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (2.) मेसर्स श्रीमती मीना रंगलानी (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.– श्रीमती मीना रंगलानी), खसरा कमांक–235/3 एवं 242, लीज एरिया–1.498 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–28,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव, (3.) मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री परेश कुमार), खसरा कमांक–254, लीज एरिया–1.214 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (4.) मेसर्स श्रीमती अरूणा जोगेवार (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.–श्रीमती अरूणा जोगेवार),खसरा कमांक–252, लीज एरिया–0.85 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (5.) मेसर्स श्रीचंद चाचरा (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.–श्रीचंद चाचरा), खसरा कमांक–240/2 एवं 241, लीज एरिया–0.647 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (6.) मेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.– श्रीमती सुमन सिंह), खसरा कमांक–476 एवं 482/1, लीज एरिया–0.566 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–7,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (7.) मेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (बल्देवपुर लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.–श्रीमती सुमन सिंह), खसरा कमांक–867 (पार्ट), लीज एरिया–0.85 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (8.) मेसर्स श्री भाउराम चक्रधारी (बल्देवपुर लाईम स्टोन माईन) (प्रो.–श्री भाउराम चक्रधारी), खसरा कमांक–869, 870, 876 (पार्ट) एवं 877, लीज एरिया–1.295 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–12,500 टन प्रतिवर्ष ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (9.) मेसर्स बल्देवपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्रीमती राखी टुरहाटे), खसरा कमांक–875/1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7, लीज एरिया–1.112 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (10.) मेसर्स श्रीमती कविता पारेख (बल्देवपुर लाईम स्टोन माईन) (प्रो.–श्रीमती कविता पारेख), खसरा कमांक–907 एवं 909/1, लीज एरिया–0.667 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–14,274.88 टन प्रतिवर्ष ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (11.) मेसर्स खैरागढ़ मिनरल्स, (बल्देवपुर लाईम स्टोन माईन) ,खसरा कमांक–348/3, 4, 5 एवं 6, लीज एरिया–0.809 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,345 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त

लोक सुनवाई हेतु दिनांक 15.09.2021 को दोपहर 12:00 बजे ग्राम पंचायत कलकसा भवन के प्रांगण में ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत (1.) मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा), खसरा क्रमांक–471, 472 एवं 473/2 (पार्ट), लीज एरिया–1.295 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (2.) मेसर्स श्रीमती मीना रंगलानी (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.– श्रीमती मीना रंगलानी), खसरा क्रमांक–235/3 एवं 242, लीज एरिया–1.498 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–28,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव, (3.) मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री परेश कुमार), खसरा क्रमांक–254, लीज एरिया–1.214 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (4.) मेसर्स श्रीमती अरूणा जोगेवार (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.–श्रीमती अरूणा जोगेवार), खसरा क्रमांक–252, लीज एरिया–0.85 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (5.) मेसर्स श्रीचंद चाचरा (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.–श्रीचंद चाचरा), खसरा क्रमांक–240/2 एवं 241, लीज एरिया–0.647 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (6.) मेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.–श्रीमती सुमन सिंह), खसरा क्रमांक–476 एवं 482/1, लीज एरिया–0.566 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–7,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (7.) मेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (बल्देवपुर लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो.–श्रीमती सुमन सिंह), खसरा क्रमांक–867 (पार्ट), लीज एरिया–0.85 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (8.) मेसर्स श्री भाउराम चक्रधारी (बल्देवपुर लाईम स्टोन माईन) (प्रो.–श्री भाउराम चक्रधारी), खसरा क्रमांक–869, 870, 876 (पार्ट) एवं 877, लीज एरिया–1.295 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–12,500 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (9.) मेसर्स बल्देवपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्रीमती राखी टुरहाटे), खसरा क्रमांक–875/1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7, लीज एरिया–1.112 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (10.) मेसर्स श्रीमती कविता पारेख (बल्देवपुर लाईम स्टोन माईन) (प्रो.–श्रीमती कविता पारेख), खसरा क्रमांक–907 एवं 909/1, लीज एरिया–0.667 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–14,274.88 टन प्रतिवर्ष ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (11.) मेसर्स खैरागढ़ मिनरल्स (बल्देवपुर लाईम स्टोन माईन), खसरा क्रमांक–348/3, 4, 5 एवं 6, लीज एरिया–0.809 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,345 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में संयुक्त लोक सुनवाई हेतु परियोजना प्रस्तावकों के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली दिनांक 09.08.2021 एवं नई दुनिया, रायपुर दिनांक 09.08.2021 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 15.09.2021 को दोपहर 12:00 बजे संयुक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में स्थल–ग्राम पंचायत कलकसा भवन के प्रांगण में ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के

अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी. जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–राजनांदगांव, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कलकसा, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बल्देवपुर, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गर्रापार, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत प्रकाशपुर, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत टोलागांव, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत घोटिया, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जुरलाकला, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पेण्ड्रीकला, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पिपलाकछार, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कुम्ही, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत दपका, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भरदाकला, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत देवरीभाट, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बढ़ईटोला, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत दामरी, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत टेकापार, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत साल्हेभर्री, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत झीकादाह, जिला–राजनांदगांव, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजनाओं के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां लोक सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजनो के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त परियोजनाओं की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि दिनांक 15.09.2021 को दोपहर 12.20 बजे संयुक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में स्थल–ग्राम पंचायत कलकसा भवन के प्रांगण में ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम संयुक्त कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा निर्धारित तिथि समय एवं स्थल पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

है। आसपास जितने भी गांव आते हैं साथ हम लोग को 7–8 किलोमीटर चलना पड़ता है। हमारे पंचायतों में ग्राम कलकसा से 50–60 बच्चे पढ़ने के लिये बढ़ईटोला माध्यमिक शाला जाते हैं। हमारे गांव में माध्यमिक शाला का निर्माण किया जाये। अभी बताया जा रहा था कि धूल को रोकने के लिये दिन में दो बार जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाये। यह नही किया जाता है। हमारे स्कूल बच्चे जाते हैं तो बच्चे बारिश में दो ड्रेस लेकर पढ़ने जाते हैं। यहां से बढ़ईटोला जाने के लिये एक ड्रेस पहनते हैं वहां जाकर दूसरा बदलते हैं। ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। बांध के ऊपर में ही दो खदानें हैं जहां बड़ी ब्लास्टिंग होती है। जिससे सभी का घर दहल जाता है। पत्थर गांव तक आता है। कभी कभी स्कूल बन्द कराने के लिये मुंशी गांव के स्कूल तक आते हैं। बच्चों को अंदर कीजिये ब्लास्टिंग होने वाली है, तो नजदीक के क्रशर को बन्द किया जाये। या तो छोटा ब्लास्टिंग किया जाये। ताकि हम लोगों को भी सुविधा मिले। मानते हैं रोजगार है, लघु उद्योग है लेकिन हम लोगों को परेशानी नही होनी चाहिए, धन्यवाद।

5. **श्री नूतन साहू , सचिव, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ अभी हमारे क्षेत्र में जितने भी खदान है जो मिनरलस एक्ट के तहत् आते हैं, उसमें सारे नियमों का पालन तो जरूर होता है। परन्तु हमें माईंस की जो राशि ग्राम विकास के लिए, डेव्हलपमेंट के लिए जो राशि आती है वह राशि में मिनरल्स एक्ट 2015 के तहत् जो अनुसंधान में तैयार हुआ है, नियमावली है उसके तहत् ग्राम पंचायत को, ग्रामसभा के द्वारा यह स्वतंत्रता के अधिकार है कि वे डेव्हलपमेंट की राशि गांव वालों की सहमति से गांव में जो चीज चाहते हैं। उस चीज का निवारण होना चाहिए। परन्तु हमें निर्देश में यह प्राप्त होता है कि वस्तु विशेष में यह बात किया जाता है कि हमको ये चीज में ही हमको डेव्हलपमेंट लाना है। इसलिए यही वजह है कि हमारे जितने भी लोगों ने आपके सामने शिकायत किए हैं। रोड तैयार नहीं हुआ है, ये लोग चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए। डेव्हलपमेंट की राशि डेव्हलपमेंट में नहीं लगा सकते क्योंकि हमको स्वतंत्रता नहीं है। हम लोगों को यह निर्देश मिलता है कि इस चीज में व्यय करना है, उसमें व्यय करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्राम की जो पॉपुलेशन है वह कम है, बहुत गरीब–गरीब लोग हैं आसपास मजदूरी के लिए क्रेशर में जाते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिल रहा है परन्तु उनके बच्चों को शिक्षा के लिए, उनको पर्यावरण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष जो सुविधाएं हैं वह भी खनिज एक्ट के अंतराल में समय–समय पर शिविर लगाकर उनके बाल–बच्चों के लिए सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। जो कि बहुत ही आवश्यक है। मैं इतनी ही कहना चाहता हूं।

6. **श्री सदालाल कुर्रे, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारे यहां आंगन बाड़ी संचालित है लेकिन वहां पर अभी गैस सिलेण्डर की व्यवस्था नहीं है। गौ–धन न्याय योजना के अंतर्गत हमें गोबर के कंडे नहीं मिल पा रहे हैं। लकड़ी छेना की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसकी तत्काल व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद।

7. **श्री मुरली सिंह वर्मा, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत, ग्राम–खैरागढ़,, जिला–राजनांदगांव।**

➢ यहां पर उपस्थित समस्त माननीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं यहां पर उपस्थित आसपास के समस्त क्रशर मालिकों एवं यहां पर उपस्थित सरपंचगण, यहां पर उपस्थित समस्त ग्रामवासियों, आसपास के आए हुए साथीगण। मान्यवर महोदय, चूंकि

जनपद पंचायत उपाध्यक्ष होने के नाते यह क्षेत्र मेरे क्षेत्र क्रमांक – 15 के अंतर्गत आते हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत दिनों से यह बात सुनने में आई है कि बहुत सी परेशानी माईनिंग की वजह से आ रही है। तो मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं । क्योकि यह ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया होने के साथ–साथ यहां पर चूना पत्थर खदान यहां पर पहले से ही स्थापित है चूंकि इस क्षेत्र ड्राई एरिया होने के कारण मजदूरी रोजी– रोटी के कारण से इस क्षेत्र को माईनिंग चूना पत्थर के लिए स्वीकृति प्रदान किया है और इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से एन0ओ0सी0 जारी किया है। इनका लाभ मिलना चाहिए। इस क्षेत्र के ग्रामवासियों को मिलना चाहिए। बहुत सी असुविधाएं हैं जो हमारे इस क्षेत्र में जैसे कलकसा है वह चारो तरफ से माईंस से घिरा हुआ है। गांव में माध्यमिक शाला होनी चाहिए। बच्चों को पास के गांव बल्देवपुर पढने के लिए जाना पड़ता है और बल्देवपुर जाने के लिए कोई पक्के साधन नहीं है। इसकी सुविधा को भी ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। यहां गांव में कच्ची रोड है, पक्की रोड भी हैं लेकिन ट्रकों के चलने से वह रोड खराब हो जाने के कारण असुविधा हो रही है। मैं इसको भी ध्यान में डालना चाहता हूं पर्यावरण की दृष्टि से यहां पर जो आज शिविर जो लगा है। इसके माध्यम से भी क्रेशर मालिको को अवगत कराना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कि इस क्षेत्र के लोगों को, गांव को किसी प्रकार की परेशानी न हो। माइनिंग की जो रॉयल्टी की राशि जो ग्राम पंचायत को 50 प्रतिशत, जनपद पंचायत को 30 प्रतिशत और जिला को शायद 20 प्रतिशत ऐसा कुछ है। इसका लाभ इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। इस क्षेत्र में 07 किलोमीटर के दायरे में जो अतिप्रभावित खनन क्षेत्र हैं इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। ग्राम चिन्हांकित नहीं होने की वजह से हमेशा जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत में जो प्रथा बनी हुई है हमेशा वाद–विवाद की स्थिति बनी होती है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत में जो खनन क्षेत्र हैं उसे भी इसके अंतर्गत लिया जाए और जो अतिप्रभावित गांव हैं उसको पहले लिया जाए। जिससे इस क्षेत्र को लाभ रॉयल्टी का लाभ मिले। मैं यह भी चाहता हूं कि जितने भी क्रशर मालिक है वे गांव वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर समय–समय पर चौपाल लगाएं और हमारे किसान भाईयों का ध्यान रखकर अपना खदान संचालित करें लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि यहां जो 4–5 ग्राम पंचायत हैं। इन 4–5 ग्राम पंचायतों में कलकसा, बल्देवपुर, साल्हेभर्री और खुर्सीपार खदान जो संचालित हैं। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। रॉयल्टी की राशि समय पर जमा होनी चाहिए। इतना लाभ मिलना चाहिए। मैं समय–समय पर क्रशर मालिकों, ग्रामवासियों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए प्रयत्नरत हूं। ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सरपंच का अनुरोध है कि क्रेशर मालिकों से कि बल्देवपुर आने जाने के लिए एक प्रवेश द्वार के लिए निवेदन करता हूं। इस पर पहल किया जाए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

8. **श्री तिहारू राम कुर्रे, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारे गांव में सिंचाई का एकमात्र साधन दो बांध हैं। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है, जितनी भी वर्षा हुई एक बुन्द भी पानी नहीं है। क्रशर वालों के द्वारा नाली को तोड़ दिया गया है तो पानी नहीं आ पाता इसके लिये कुछ किया जाये, नाली बनवाने का काम किया जाये। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। तीन चार क्रशर बांध के अंदर है, रूंगटा, रंगलानी, जोगेवार जी का क्रशर है

जो नाली के साधन को बीच में तोड़ दिया है जिससे पानी सिंचाई के लिये कम पड़ रहा है, दोनों बांध में पानी है तो इसके लिये कुछ किया जाये। धन्यवाद।

9. **श्रीमती संगीता साहू, सचिव, ग्राम–बल्देवपुर, जिला–राजनांदगांव।**

➢ भारत सरकार को द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि आप संपत्ति कर वसूलिये पिछली बार मैं सारे क्रशर वालों को नोटिस भिजवाई थी। कि आप लोग अपनी संपत्ति कर जमा करें। लेकिन एक भी क्रशर मालिक संपत्ति कर जमा नहीं किये हैं। पिछले 02 सालों मैं बल्देवपुर में पदस्थ हूं। हम लोग गांव वाले छोटे हैं इसलिए डरा–धमकाकर संपत्ति कर ले लेते हैं। गवर्मेन्ट को जब हम दिशा–निर्देश करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है कि आपका टैक्स इतना कम कैसे वसूल हुआ। मार्च एंडिंग में हमें उनकों बताना पड़ता है कि कितना टैक्स लिए क्या किए करके। हमारे जितने भी क्रशर मालिक हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। उन्होंने एक भी पैसा संपत्ति कर के रूप में जमा नहीं किया। वे लोग बोलते हैं कि हम लोग संपत्ति कर माईनिंग में पटाते हैं। माईनिंग उनका लीज है लेकिन संपत्ति कर ग्राम पंचायत में ही जमा करें। माननीय जी मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगी कि बल्देवपुर में पिछले टाइम से समथिंग 11 क्रशर संचालित था जिसमें पिछले टाइम 47 लाख रूपये स्वीकृत तो हुई थी। लेकिन जिला पंचायत में यह कहकर रोक दिया गया कि पहले इस पैसे से काम कराएं, इसका बाद में करेंगें। चूंकि पैसा हमारा, काम हमारा तो हम काम क्यों नहीं करा सकते ? उसमें हमें बाध्य है पैसा पिछले 06 महीनों से पड़ा है लेकिन हम उससे काम नहीं करा सकते क्योंकि उसका आदेश हमकों जिला पंचायत से नहीं मिला है। माननीय आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगी कि इसके लिए कुछ दिशा–निर्देश करेंगे कि हमकों पैसा मिले और हम किसी भी काम को तत्काल करा सकें क्योंकि मौसम के परिवर्तन के कारण कई काम ऐसा होता है जिसे तुरंत भी करवा सकते हैं तो करवा लें। बाद में दिक्कते आती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में पंचायत में 47 लाख आया था इस साल 22 लाख आया है और हमसे लगा हुआ ग्राम पंचायत जिनकी राशि पिछला वित्तीय वर्ष जब से शुरू हुआ है तब से कम आता था उनका 32 लाख आया है। जब हमारे सरपंच महोदय जब जिला पंचायत का चककर लगाते हैं तो उनको यह कहकर जवाब दिया जाता है कि इस साल सारे पंचायतो का टैक्स कम किया गया है कोरोना के कारण तो माननीय मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कोरोना के कारण अगर बल्देवपुर का टैक्स कम आया है तो कलकसा, झींकाखार पंचायत का टैक्स कैसे ज्यादा आया। वहां 32 लाख आया और हमारे पंचायत में 22 लाख कैसे आया तो यह सोचने और गम्भीरता से जांच करने वाली बात है। माननीय जो हमारे टैक्स का निर्धारण है। हम पंचायत के छोटे कर्मचारी हैं हमें गवर्मेन्ट काम देती है समय–समय पर जो उसे करने के लिए हमको सहयोग की अपेक्षा है। आप दिशा–निर्देश करें की अपना टैक्स संपत्ति कर पंचायत में ही समय रहते जमा करें धन्यवाद।

10. **श्री आलेखचंद चंदेल, कोटवार, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारे गांव कलकसा से बल्देवपुर जाने का जो मार्ग है वह पूरी तरह से जर्जर हो चुका है बारिश के दिनों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो कीचड़ में गिर जाते हैं। आने जाने में परेशानियाँ होती है। ग्रामवासियों का निवेदन है कि हमारे इस रोड को पक्की रोड में निर्माण किया जाये। जब से खदान खुले हुए हैं गांव में 6–7 क्रशर हैं तो हम क्रशर मालिकों से निवेदन करते हैं कि कम से कम 20 वर्कर रखने की गुजारिश करते हैं। यही मांग करते हैं। धन्यवाद।

11. **श्री संतोष साहू, ग्राम–घोटिया, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जैसा कि जपनद पंचायत महोदय हमारे बीच मे माइनिंग के संबंध में चर्चा किये। वास्तविक बात हे जे गांव में खनन होत हे वो गांव के विकास नहीं हो पात हे। ठीक हे कोई कारणवश किसान मन अपन जमीन बेच दिस, बेचे के बाद आज वहां क्शर संचालित होत हे, खदान भी संचालित होत हे तो संचालित के साथ–साथ गांव के विकास भी होना चाही जैसे बल्देवपुर और खुर्सीपार हे कलकसा हे तीनों गांव के बीच मे जुरलाकला आत हे तो वो रोड म बहुत परेशानी होत हे। वो गांव के ब्लास्टिंग ल जुरला गांव के मन करत हें। त मोर निवेदन है कि जुरला ल भी माईनिंग के दायरा म रखा जाए आऊ वहां ज्यादा से ज्यादा राशि के उपयोग हो जाए। 7 किमी0 के जो जनपद पंचायत से जो जानकारी आथे कि 07 किलामीटर के दायरा म देना हे। वहां खुद जनपद सदस्य मन ह बोलथे कि पूरा पईसा खैरागढ जनपद में बटना चाहिए। तो मोर निवेदन हे कि 07 किलोमीटर के जो दायरा हे वो गांव का नाम चिन्हांकित कर दे जाये। जहां–जहां ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हे। एखर लिए मैं अनुरोध करत हों आप मन से कि जनपद पंचायत में जानकारी भेजा जाए। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । धन्यवाद ।

12. **श्री मुकेश कुमार कुर्रे, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरे गांव के असिंचित किसानों को सत्र 2019 का बीमा राशि अभी तक नहीं मिली है। उसके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। मेरे गांव के सिंचित किसानों को 52 प्रतिशत के हिसाब से बीमा की राशि प्राप्त हुई है सत्र 2019 कि और मेरे गांव के असिंचित किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है जबकि मेरे गांव के किसानों ने तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक निवेदन किए हैं। रिपोर्ट अब तक के नहीं पहुंचा है ऐसा कहते हैं। इस पर जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही कर असिंचित किसानों को उनकी बीमा राशि दिलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

13. **पुनः उद्बोधन श्री श्याम सुंदर साहू, सरपंच, ग्राम–बल्देवपुर, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कुछ बातें आपके बीच में नहीं बता पाया था, हमारा खदान इतना गहरा हो चुका है और गहरा होने के बाद उसका लीज जैसे समाप्त होता है तो उस गड्ढे को खुला ही छोड़ दिया जाता है, तो मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो खदान भारी भरकम गड्ढा हो चुका है तो उस गड्ढे के चारों तरफ तार का घेरा करवा दें गर्मी के दिनों में उसमें कई 5–7 जानवर गिर चुके हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मैं सभी क्शर मालिकों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो गड्ढे खाली पड़े हैं उनमें चारों तरफ तार का फेंसिंग कार्य करवा दें ताकि वह सुरक्षित रहें। जिससे किसी प्रकार की जान–माल की हानि न हो। धन्यवाद।

14. **श्री रामदास कुर्रे, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमर गांव कलकसा के जो रोड हे बल्देवपुर जाए के वो एकदम जर्जर हो चुके हे। वो रोड ल बनाए के कष्ट करें। हमर बच्चा मन ल स्कूल आए जाए म तकलीफ होथे। गांव वाले मन ह, क्शर मालिक मन ल भी बोले चुके हे की रोड ल बनाव–बनाव करके क्शर वाले मन भी ध्यान न देवे। तो मैं महोदय जी से निवेदन करत हो कि ये रोड को जल्दी से जल्दी बनवाएं धन्यवाद।

15. **श्री संतोष बंजारे, सरपंच, ग्राम–जुरलाकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ ग्राम–गाडाघाट मार्ग पर जो नया तत्कालीन पुलिया बना है वह जर्जर हो चुका है आने जाने में दिक्कत हो रहा है। जिसे बनाने की कोशिश करें।

16. **श्री ईश्वर कुमार कुर्रे, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमर गांव के किसान मन ह ये कारण जमीन बेचे हे काबर कि कम से कम हमन ला रोजगार मिलये। जे समय छोटे खदान चलत रिहीस ओ समय हमर गांव के कइ लोगन ला रोजगार मिलिस। आउ पत्थर तोडके अपन परिवार के भरण–पोषण करत रिहिस। आज अइसे स्थिति बन गेहे बड़े–बड़े यूनिट आगे, बड़े–बड़े क्रशर आगे आज अइसे काम छिन गेहे कि सब काम ल मशीन ले करत हे त कइसे करके अपन जीवनयापन करहि ? ब्लास्टिंग कार्य ओल्ड विधि से कराया जाए। जेखर से लोगन ल काम मिलही। जो चूना पत्थर हे वोला मशीन से करवाथे आउ बोल्डर पत्थर ल ब्रेकर मशीन ले करवात हे। त वो काम ल पूरा काम ल मजदूर से कराया जाए। कम से कम ओखर परिवार के परवरिश हो सके। त आप मन से मेरा यही निवेदन है कि क्रशर मालिक जितना हो सके मशीन के बजाए जितना भी हो सके बस सही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द जय भारत जय छत्तीसगढ़।

17. **श्री होलकर पटेल, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ सन 88–89 में डॉयवर्सन बांध बना हुआ है। कलकसा से गाडाघाट तक उस पूल का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। जो हमारे गांव से 02 किलोमीटर की दूरी पर है। हमको आने जाने में दिक्कत होती है। हमारे बच्चों को शाला आने जाने में तकलीफ होती है तो मैं आग्रह करता हूं कि इस पूल का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। धन्यवाद।

18. **श्री मिलेश बघेल, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरा प्रश्न यह है कि प्रति क्रशर में कितने लोगों को रोजगार दिया जायेगा ?

19. **श्री गौरीदास कुर्रे, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ 05 साल से मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। मैं 15 से 20 बार आवेदन दे चुका हूं। मैं खदान के बारे में बोलना चाहूंगा कि यहां के खदान बंद होना चाहिए क्योंकि जब भी किसान अपने खेत में जाते हैं तो उसका पैर पत्थर से कट जाता है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि खदान बंद होना चाहिए। धन्यवाद।

20. **श्री तामेश्वर कुर्रे, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ माइन्स क्षेत्र में और गांव में कितना वृक्षारोपण होना चाहिए यही मेरा सवाल है।

21. **श्री चोवाराम कुर्रे, उपसंरपंच, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारे यहां जितने भी कलकसा के आसपास के गांव में लगभग 8, 9, 10 गांव हैं। उसमें रोजगार को देखते हुए हम बता रहे हैं कि खदान में कमाने के लिए 5–6 लोग ही आते हैं, रोजगार मिलता है। आज हमको कमाने खाने के लिए जब से हम क्रशर लाईन में है आदरणीय जोगेवार भैय्या जी के यहां उनकी क्रशर में हमारी जिंदगी चली है। हमारे गांव के 75 परसेन्ट लोग क्रशर लाईन में है। क्रशर लाईन में ही रोज–रोटी, मजदूरी चल रही है। बेरोजगारी नहीं है। जो आदमी अपने शरीर से कोढ़िया है। वह काम कहां करेंगा। बाहर के लोग कमाने के लिये आते हैं। आज हमको खाने कमाने के लिये आदरणीय जोगेवार भईया के खदान में काम मिला है। क्रशर लाईन से हमारा

रोजी मजदूरी चल रहा है। आज भी वहां क्शर में काम है, क्शर लाईन में रोजगार मिलता है। बेरोजगारी नही है। धन्यवाद।

22. **श्री पदम दास कुर्रे, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमर गांव में सियान जब रिहीस न तब बांध बनाये रिहिस, जब ले क्शर खुलिस हमर पूरा गांव ल प्रदूषित कर डालिस जतका दिन ले क्शर खुलिस पूरा बांध खतम होगे। किसान मन ल पानी मिले के साधन भी खतम होगे आउ जतका ये चापलूस बात करत रिहिस न यही मन सब जमीन ल बेचवा के पूरा गांव म खदान खुलवा डारिस। बारिश म तको खदान चालू हे। जब हम मेढ़ म जाथन तो हमर पैर पत्थर ले कट जाथे। अभी मैं चलके दिखा सकता हूं । अभी मैं चलकर दिखा सकता हूं मेरे खेत में कितना पत्थर है । अभी बारिश हुआ है तो समीर पोद्दार का खदान बंद है मेरे कहने का मतलब है यह खदान ही बंद होना चाहिए। हमन ल खदान से कोई रोजगार नही मिलथे बल्कि आऊ नुकसान होवथे। बस मैं यही बात बोलके अपन जुबान ल विराम देवत हों। धन्यवाद।

23. **श्री नरेश कुमार बघेल, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जोगेवार भइया 75 प्रतिशत मन ल रोजगार देथे। जोगेवार भइया ह 05 फिट के जमीन ल न दे सके पूरा इरिगेशन बांध, नाली मन ल खागे वो कहां रोजगार दे सकही। बडे–बडे ब्लास्टिंग करवाथे। समीर पोद्दार बिना एन0ओ0सी के खदान चलाथे। चोर चोर मालिक खदान चलात हे ये मन ल गांव से भगाओ।

24. **श्री धरमराज पटेल, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारे गांव में सियान है हम लोग गांव से दो किमी दूर में रहते हैं। वहां नदी के किनारे घर है वहां डायवर्सन बांध होने की वजह से हमारे घर के आसपास मेढ़ में पानी भर जाता है। हम रोड में निकल नहीं सकते इसलिए महोदय जी से निवेदन है कि रोड में निकलने के लिए सी.सी.रोड का निर्माण कराया जाये। जय छत्तीसगढ़

25. **श्रीमती ज्ञानेश्वरी, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमें निराश्रित पेंशन की राशि नहीं दिया जा रहा है, केवल 10 किलो चांवल दिया जा रहा है, रोड नहीं बना है गांव में, कई लोगों को 35 किलो चांवल दिया जा रहा है।

26. **श्रीमती त्रिवेणी बाई कुर्रे, ग्राम– कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ पथरा के खदान हे बारिश के दिन म पूरा धूल मिट्टी जाथे पैर कट जाथे। तीर के खदान ल बंद किया जाये। नाली बने हे पूरा नाली म कीचड हे, सरपंच ल, सब ल बोल डालेओं। जाकर देख लेवव। कितना गंदगी से गुजरथन। बाजू वाले नाली के पानी न निकलन नहीं देवे। बाबा जमाने से ओ घर बने हे कोई लाभ नहीं मिले हे। धन्यवाद।

27. **श्री राकेश कुमार साहू, ग्राम–बल्देवपुर, जिला–राजनांदगांव।**

➢ इस क्षेत्र में पहले वॉटर लेवल 100 बनाकर रखा गया था। वॉटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। खदान में खनन होने से पहले 100 फीट में पानी आता था। अब वॉटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। जय हिन्द।

28. **श्री कृपाराम पाल, ग्राम–दपका, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारे यहाँ रोड बहुत खराब हुआ है। क्रशर के कारण भारी वाहन चल रहे है जिसके कारण एक बच्चा खत्म हो गया। सड़क का जल्द से जल्द रिपेयरिंग किया जाये।

29. **श्रीमती गीता, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मोर घर म पानी भरे हे मे हा अभी किराया के घर म हों । धन्यवाद

30. **श्री विश्वनाथ साहू, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैडम मेरी एक शिकायत है। टॉवर लाईन गया है यहां से दल्ली से चुनी उन लोगों ने हमारी फसल को खराब कर दिया है। उसका एक भी पैसा हमको नहीं मिला हम लोगों को कहा जाता है कि आज मिलेगा, कल मिलेगा। न फसल खराब होने का मुआवजा मिला और पूरा हमारा खेत खराब हो गया उसका मुआवजा मिला। मेरा खेत खदान से घिरा हुआ है तो पूरा पत्थर खेत में जाता है। मजदूर जब खेत में काम करने के लिए जाता है तो उसका पूरा पैर कट जाता है। रोपा लगाने वाले कहते हैं कि हम रोपा नहीं लगाएंगे खेत में क्योंकि तुम्हारे खेत में बहुत पत्थर है। ब्लास्टिंग के कारण पूरा पत्थर खेतों में जाता है जिसको इन लोगों को उठवाना चाहिए ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मैडम ऐसा है कि 01 एकड़ खदान है तो 10 एकड़ जमीन पूरा खदान खराब हो रहा है तो खदान तत्काल बंद किए जाएं । हम बहुत ज्यादा परेशान है। मेरा 10 एकड़ जमीन खराब हो गया है। पत्थर एक किलोमीटर तक उड़ता है कई बार पत्थर हमारे सामने आकर गिरता है तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों को सूचित किया जाए। ये लोग ब्लास्टिंग कर देते हैं और सूचना भी नहीं देते हैं। किसान बहुत परेशान हैं। फसल का मुआवजा है वह हमको मिलना चाहिए। जो टॉवर खम्बे लगे हैं उसका भी मुआवजा हमको मिलना चाहिए। धन्यवाद।

31. **श्रीमती कमला बाई, ग्राम–कलकसा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरे घर के सामने बोरिंग है। वहां बहुत गंदगी है नाली बनाने के लिए पहले भी बोली थी, लेकिन नहीं बना। बहुत गंदगी भी है।

32. **श्री गैंदू, वार्ड क्रमांक – 09 पंच, ग्राम–टेकापार, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जिला – राजनांदगांव, विधानसभा क्षेत्र–डोंगरगढ, तहसील–खैरागढ़, पोस्ट–झींकाखार हमारे कलकसा पंचायत का विकास नहीं हुआ है, कृपया ध्यान दे, यहां नाली को बनवाये, यही मेरा अनुरोध है।

33. **श्री जितेन्द्र कुमार चंदेल, ग्राम–कलकसा. , जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरी एक ही समस्या है, पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारे यहां इतनी बड़ी टंकी बनी हुई है लाखों की लागत से पर हमारे घर में नल नही है, घर के पास नाली नहीं है। हमारा ग्रामीण विकास कर रहा है लेकिन हमारा देश आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है क्योंकि यहां के लोग अपनी कार्यशीलता में कमी दिखा रहे हैं। जनसेवा के प्रति जागरूक होने के बजाय अपने काम करने का तरीका बदलना नहीं चाहते। इसलिए आज भी हमें गैस की सुविधा नहीं मिली, हमें सड़कों पर कीचड़ का सामना करना पडता है। आज लोग अपने जेबों को भरने के लिए खदान, क्रशर वालों से पैसा ले लेते हैं। गावं के मुखिया, सियानजन भी पैसा ले लेते हैं और ग्रामीणों को कुछ नहीं मिलता। हमारे गांव के बच्चे कीचड़ से गुजरकर स्कूल कॉलेज जाते हैं और हमारी सरकार कहती है कि सबको पढने के लिए जाना है तो क्या हम

खदानों में नॉव में बैठकर जाएं या फिर हमें बस की सुविधा दी जाएगी। आज भी यहां कई लोग अशिक्षित हैं, 12 वीं पास भी नहीं हैं और कई लोग टॉपर भी रह चुके हैं जो पंचायत में काम कर रहे हैं अधिकारी हैं। उन लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे गांवं का विकास कैसे करें वे आज वेतन प्राप्त कर रहे हैं और अपना जीवन खुशहाल बना रहे हैं। हम जैसे ग्रामीणों को जो दुविधा हो रही इसका निवारण जल्दी से जल्दी किया जाये यही मेरी सरकार से और जनसेवा मण्डल से निवेदन है धन्यवाद।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद संयुक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब संयुक्त कलेक्टर जिला राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन कुमार चंद्रा द्वारा परियोजनाओं के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- जैसा कि ग्रामीणों ने आज यहां पर कहा जैसे ग्राम – बल्देवपुर के श्यामसुंदर साहू जी ने बोला है खदान गहरा है खदान के पानी को बाहर फेंका जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी खदान में पानी भर रहा है उससे किसी को परेशानी न हो। जो भी लोगों को परेशानी हो रही है। हमने उन सारी बातों का हमने ध्यान रखा है हमारे प्रेजेन्टेशन में इनक्लूड भी किया है। जैसे ब्लास्टिंग होती है तो पत्थर उडते हैं इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि इससे ग्रामीणों को कोई नुकसान न हो और हैवी ब्लास्टिंग ये सारी चीजें हमने प्रपोस नहीं करी है हम लाईट सैलो ब्लास्टिंग वह भी एप्रूव्ड कांट्रेक्टर के द्वारा ही हम ब्लास्टिंग करवाएंगे तथा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि दिन में किसी भी टाईम ब्लास्टिंग न हो एक फिक्स टाईम में ब्लास्टिंग करें जिससे ग्रामीणों का पता हो इतने टाईम में ब्लास्टिंग होने वाली है और वह सचेत रहें। इसके लिए हम हुडर की व्यवस्था भी कर देंगे या सॉयरन बजा देंगे। जिससे यह पता चल जाएगा कि ब्लास्टिंग होने वाली है वे सचेत हो जाएं। इन चीजों की व्यवस्था कराने की खदान में हम कोशिश करेंगे कि जिससे ग्रामीणों को कोई नुकसान न पहुंचे और यह भी ध्यान रखेंगे कि उनके खेतों में जो पत्थर जा रहे हैं वो न जाए इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए खदान चलाएंगे।

- दूसरी बात यह है कि रोड खराब हो रहे हैं । इन बातों का भी हम ध्यान रखेंगे। हमारी गाड़ियां वहां से निकल रही है और हमारे खदान के ट्रकों मे माल भरकर जा रहे हैं। तो हम रोड को टाईम–टाईम पर मेंटेन करवाएंगे। जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी न हो तथा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। हम पौधा रोपण करवाएंगे जो पौधा रोपण हुआ है वह बहुत कम हुआ है आने वाले दिनों में जितना हो सके हम पौधा रोपण करवाएंगे जिससे धूल उत्सर्जन या फिर लोगों को ध्वनि प्रदूषण से जो प्रॉबलम हो रही है वह न हो।

- ❖ जैसा कि सदाराम कुर्रे जी ने बोला है कि बच्चे जाते है रोड खराब हैं। इन बातों पर भी हम जरूर ध्यान देंगे। मैं खदान मालिकों से निवेदन करता हूं कि जो भी गाड़ियां निकलेगी उस रोड से तो वह सड़क की ओर भी ध्यान देंगे और आगे भी इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे।
- ❖ दूसरा है रोजगार, रोजगार के लिए यह है कि हमने अपने प्रेजेन्टेशन में भी रखा है कि पहला प्रीफ्रेंस गांव वालों को ही दिया जाएगा। जिस गांव में खदान है और अगर उन्हें कुछ नहीं आता है तो वहां हम ट्रेनिंग की व्यवस्था वहां रखेंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए हम स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेंगे। जो गांव के व्यक्ति हैं उनको स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिले।
- ❖ जितने भी लोगों ने बोला है वह यही चीज है कि रोड खराब है, ब्लास्टिंग हो रही है तो हम इन चीजों का आगे ध्यान रखेंगे तथा इस पर विचार करके उन चीजों का ध्यान देगें।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित मे 72 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजनाओं पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 32 व्यक्तियों (01 व्यक्ति द्वारा दो बार उद्बोधन) के द्वारा कुल 33 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका– टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 37 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 1.55 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संयुक्त कलेक्टर
जिला–राजनांदगांव